औरतों के हाथ में आई ताक़त : एक अनुभव

वीणा शिवपुरी

सन् 1990 के महाराष्ट्र सरकार के अधिनियम के तहत सभी स्थानीय स्वशासी निकायों में तीस प्रतिशत जगहें औरतों के लिए आरक्षित करना ज़रूरी माना गया। चूंकि अब तक औरतें सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ी रही हैं, यह आवश्यक समझा गया कि उनके पक्ष में कानून बनाए जाएं। परिणाम स्वरूप अनेक गांव पंचायतों में औरतें सक्रिय दिखलाई पड़ने लगीं। कुछ पंचायतें तो पूरी तरह से महिला पंचायतें बनीं। पहली बार कानूनी तौर पर औरतों के हाथ में अधिकार आए। यह सभी के लिए एक उत्साहवर्धक बात थी।

एक अध्ययन

पुणे की एक महिला संस्था "आलोचना" की दो सदस्यों ने औरतों की ताकतमंदी के इस प्रयोग के बारे में अध्ययन किया। मेधा और सिमरित ने अपने अध्ययन की रिपोर्ट एक महिला सम्मेलन में पेश की। उन्होंने दो पूर्ण रूप से महिला पंचायतों तथा बंबई और पुणे के नगर निगमों में औरतों की भागीदारी को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया।

उभर कर आई कुछ बातें

— सबसे पहली बात तो यह देखी गई कि गांव की पंचायतों में औरतों की मौजूदगी का ज्यादा अच्छा असर पड़ा है। बंबई और पुणे जैसे शहरों के नगर निगमों में औरतों की मौजूदगी से कोई अच्छे बदलाव नहीं आए। मेधा और सिमरिता का कहना है कि इसका

कारण गांव का अनौपचारिक व मेल मिलाप का वातावरण है। शहरों में राजनीति का अपराधीकरण भी हुआ है जिसकी वजह से औरतें इस होड़ में पिछड़ जाती हैं।

— गांवों के स्तर पर अब विकास के रुख में बदलाव आया है। औरतों की रोजमर्रा की ज़रूरतों और समस्याओं की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे साफ़ पीने का पानी, समुचित स्वास्थ्य सेवाएं आदि मुहैया कराना औरतों का पहला मुद्दा बन गया है।

— एक और बात देखी गई कि औरतों ने राजनीतिक पार्टियों की चालाकी को समझते हुए उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और सरकार से अपने गांव के लिए धन आवंटित कराया।

— हालांकि इन पंचायतों में काम करने वाली ज्यादातर औरतें खुद निरक्षर हैं लेकिन इन्होंने

गांव के स्कूलों पर पूरा ध्यान दिया। अब अध्यापक अपना पूरा काम करते हैं और बच्चे भी नियमित रूप से स्कूल जाते हैं।

— गांवों में चलने वाले जुए के अड्डों को बंद कराना और शराब खोरी पर रोक लगाना जैसे क़दम भी उठाए गए हैं।

— इस तरह सामने नज़र आने वाले बदलावों के अलावा एक ऐसा बदलाव आया है जो महसूस किया जा सकता है। **गांव की सभी औरतों में एक नया आत्मविश्वास जागा है। उन्हें अपने महत्व का अहसास पैदा हुआ है।**

— सीटों के आरक्षण की इस नीति से यह भी पता चला है कि जब औरतों की संख्या बढ़ती है तो उनकी सामूहिक ताक़त भी बढ़ती है। सिर्फ़ एक या दो औरतें होने पर उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। तब उनकी मौजूदगी सिर्फ़ नाम के वास्ते रह जाती है।

अपील

भंवरी भटेरी केस के लिए न्याय की लड़ाई अब अदालत तक पहुंच चुकी है। इसके लिए सरकारी और ग़ैर-सरकारी स्तर पर निरंतर संपर्क बनाए रखने, कोर्ट की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही और संबंधित लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने में काफी खर्च हो रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि केस को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार वित्तीय सहयोग प्रदान करें।

आप अपनी सहयोग राशि अपनी इच्छानुसार चेक/ड्राफ्ट/मनीआर्डर के द्वारा इस पते पर भेज सकते हैं—

भंवरी सहायता कोष
श्रीमती रेणुका पामेचा
द्वारा सुश्री हेमलता प्रभु
बी-118, मंगल मार्ग
बापू नगर, जयपुर-302015

औरतें मुख्य धारा से जुड़ें

इन गांवों में आए बदलावों पर रोशनी डालने के साथ मेधा व सिमरिता ने भारत के नारी आंदोलन पर एक खास जिम्मेदारी डाली है। उनका कहना है कि अब तक नारी आंदोलन देश की सक्रिय राजनीति और चुनावी प्रक्रिया से अलग रहा है। महिला संगठनों ने भी जानबूझ कर अपने आपको राजनीतिक पार्टियों से दूर रखा है। अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि नारी आंदोलन से जुड़ी औरतों को राजनीति में आना चाहिए। यदि देश की विकास नीतियों तथा औरतों के अन्य मुद्दों के क्षेत्र में कुछ ठोस फ़ायदे चाहिए तो उन्हें असंवेदनशील लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता। आज तक औरतें सिर्फ़ मांगती आई हैं, अब उन्हें खुद सत्ता और अधिकार अपने हाथ में लेने चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पाने का रास्ता चुनावी प्रक्रिया है।

यह तो हमने देख ही लिया कि औरतों की बढ़ी हुई संख्या प्रभावकारी साबित होती है। राजनीति और सरकार में भी जितनी ज्यादा औरतें आएंगी उसका अच्छा असर पड़ेगा। आज तक राजनीतिक क्षेत्र में जो औरतें आई भी हैं वे किसी न किसी नेता की बहन, पत्नी या बेटी होने की वजह से। अब ज़रूरत है स्वतंत्र, सशक्त, नारीवादी महिलाओं की जो अपने बलबूते पर इस अखाड़े में उतरें। □